न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 6/2017

दायर दिनांक :- 22.02.2017

उनवान

1. लक्ष्मा देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा।

- (वादी)

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र श्रीला
2 फैली पुत्र श्रीला
3 अवतार पुत्र श्रीला
4 हेमराज पुत्र श्रीला
5 मूली पत्नि श्रीला

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

-(प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः- 1. श्री योगेश जाकड़, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजेश जैमन अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 1405 रकबा 0.41 है0 तथा खसरा न0 1406 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है वादीनि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 का उक्त आराजीयात में 1/2, 1/2 हिस्सा है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित हो रहा है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है तथा सम्मिलित में भूमि है इसलिए किसी भी खातेदार को जब तक विधिवत रूप से तकास्मा न हो जावे तब तक किसी भी हिस्से व भू भाग को बेचान करने व निर्माण करने आदि का कोई अधिकार नही है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. डिक्री विभाजन बहक वादीनि विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 पारित फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा न0 1405 रकबा 0.41 है0 तथा खसरा न0 1406 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि वाके ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा का वादीनि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में विभाजन फरमाकर वादीनि के हिस्से की खातेदारी अलग की जाकर पृथक-पृथक खाता व पृथक-पृथक लगान कायम फरमाकर पृथक पास बुक व पर्चा लगान कायम फरमाने की कृपा करे।

2. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनि विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 को पाबन्द फरमावें कि वे वादीनि के कब्जे काश्त [illegible] भोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा भूमि को [illegible] हस्तान्तरण करने किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से स्थाई [illegible] प्रतिबन्धित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 6 को पाबन्द फरमावे कि वे रिकार्ड व मौके की य[illegible]त स्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:08:30 IST
Reason: Self Attested

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 1 की तरफ से अधिवक्ता राजेश जैमन ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात दिनांक 29.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खुरी कलां में न्यायालय द्वारा वादीनि का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 1405 रकबा 0.41 है0 तथा खसरा न0 1406 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/5106 दिनांक 01.06.2018 द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2018/9315 दिनांक 15.10.2018 के द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को दिनांक 05.12.2019 को निम्न प्रकार से पेश किय गये।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	अमरसिंह, फैली, अवतार, हेमराज पि0 श्रीला मूली पत्नि श्रीला कौम गुर्जर सा0 देह	1405	0.41	बा0 1	3.690
		1406/1	0.015	बा0 1	0.135
		कुल किताः 2	रकबाः 0.4250 है0		3.825

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2.	लक्ष्मा देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद कौम गुर्जर राहिन IDBI बैंक शाखा दौसा सा0 देह	1406/2	0.4250	बा0 1	3.825
		कुल किताः 1	रकबाः 0.4250 है0		3.825

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा न0 1405 रकबा 0.41 है0 तथा खसरा न0 1406 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 05.10.2018 के मुताबिक खसरा न0 1405 रकबा 0.41 है0 तथा खसरा न0 1406 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि वाके ग्राम खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा के मध्य तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है।

कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 05.10.2018 तथा पेश दिनांक 05.12.2019 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 05/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

मनीषा (आर.ए.एस.) 05/10/21
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested